न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 67/2022

दायर दिनांक: 10.05.2022

1. सुखपाल सिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 डीडी 'ए' तहसील घडसाना
2. भूपेन्द्र सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 डीडी 'ए' तहसील घडसाना

–अपीलांटस

बनाम

1. सिमरजीत कौर पत्नी गुरविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 45 सैकेण्ड ब्लॉक, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व घडसाना

–रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित:–

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा
2. रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यवीर जाखड़

:: निर्णय ::

दिनांक:– 23.05.2022

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व घडसाना के आदेश दिनांक 04.5.2022 जिसके द्वारा तहसीलदार घडसाना ने चक 2 डीडी'ए' के पत्थर न. 162/27 व 162/35 के किला न. 21 ता 25 में लगभग 10 – 12 फुट रास्ता मानते हुये, पुलिस थाना घड़साना को रास्ता खुलवाने का आदेश पारित कर दिया के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपीलांट ने जरिये अधिवक्ता यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसील घड़साना के चक 2 डीडी 'ए' पटवार हल्का 6 डीडी की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता न. 24/22 के पत्थर न. 162/27 (16) के किला न. 6/0.253, 7/2 में 0.25, 13/2 में 0.013, 14/2 में 0.240, 15 ता 17/0.759, 18/2 में 0.240, 19/2 में 0.013, 21/2 में 0.013, 22/2 में 0.240, 23–24/0.506, 25/0.228 हैक. कुल 2.530 हैक. कमाण्ड व पत्थर न. 162/28 (20) के किला न. 2 ता 9, 13 ता 15/2.783 हैक. कमाण्ड व पत्थर न. 162/35 (15) के किला न. 11–12–19 ता 22/1.518 हैक. कमाण्ड व पत्थर न. 162/36 (21) के किला न. 1–10–11 /0.759 हैक. कमाण्ड इस प्रकार कुल 7.590 हैक. कमाण्ड रकबा में अपीलाट न. 1 के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है व इसी चक इसी सम्वत् की जमाबन्दी के खाता न. 9/8 के पत्थर न. 162/35 (15) के किला न. 16/1 में 0.228, 16/2 में 0.025 हैक. खाला, 17–18/0.506, 23–24/0.506, 25/1में 0.228 हैक., 25/2 में 0.025 हैक. खाला कुल 1.518 हैक. कमाण्ड मयखाला व पत्थर न. 162/36 (21) के किला न. 2–3/0.506, 4/1 में 0.228, 4/2 में 0.025 हैक. खाला, 5/1 में 0.228, 5/2 में 0.025 हैक. खाला, 6 ता 9/1.012, 12 ता 14/0.759, 15/1 में 0.227 हैक., 15/2 में 0.026 हैक. खाला [illegible] हैक. कमाण्ड मय खाला व पत्थर न. 162/43 (14) के किला न. 16 ता 25/2.5[illegible] हैक. [illegible]ण्ड व पत्थर न. 162/44 (22) के किला न. 1 ता 15, 17 ता 19/4.5[illegible] हैक. कमाण्ड इस प्रकार कुल 11.638 हैक. (11.512 हैक. कमाण्ड, 0.126 हैक. खाला) रकबा में अपीलाट न. 2 [illegible] नाम 7/46 हिस्सा खातेदारी [illegible] दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जैर अपील रकबा के चक 2 डीडी'ए' के पत्थर न. 162/27 व 162/35 के किला न. 21 ता 25 में लगभग 10–12 फुट रास्ता मानते हुये रास्ता खुलवाने का आदेश दिया है, जबकि उक्त रकबा पर आज तक कभी भी रास्ता चला ही नही है व ना ही रास्ता स्वीकृत हुआ है। उक्त रकबा अपीलांटगण का खातेदारी रकबा है। रेस्पो0 न. 1 की इस खेत में कही भी कोई ढाणी नही है वो तो किला न. 17 में अपीलांट न. 1 की बनी हुई ढाणी का गैर कानूनी तरीके से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.03 14:38:18 IST
Reason: SelfAttested

दावा कर रही है। रेस्पो0 न. 1 पिछले 45–50 वर्षो से श्रीगगांनगर में 45 सैकेण्ड ब्लाक, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर में रह रही है। रेस्पो0 संख्या 1 ने इस ढाणी पर कब्जा करने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र पेश किया व मातहत न्यायालय ने इस रकबा के सह काश्तकार अपीलांटगण को ना तो कोई नोटिस दिया व ना ही कोई सुना दी व बिना किसी सूचना के एक ही दिन में एक तरफा आदेश पारित करके बिना मजुंर रास्ता को खुलवाने बाबत थानाधिकारी घडसाना को दि. 04.05.2022 को पत्र लिखते हुए आदेश पारित कर दिये जो शुरू से ही शून्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील आदेश खारिज किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा हाजिर आये तथा रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यवीर जाखड़ हाजिर हुए। अपील अपीलांट अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर अलग से कोई आदेश पारित नही किया है। पुलिस थाना घडसाना को ही पत्र लिखकर रास्ता खुलवाने का आदेश दिया है। इसलिए इस पत्र का ऑपरेटिव पॉर्सन ही आदेश है तथा इसी आदेश से तमाम कार्यवाही की गई है। अतः प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाने की आवश्यकता नहीं है। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो व लिखित बहस के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि रास्ता खुलवाने हेतु का आदेश देते हुए थानाधिकारी पुलिस थाना घडसाना को लिखा है कि जबकि पत्थर न. 162/27 व 162/35 के किला न. 21 ता 25 में एक इंच भी रकबा में मंजूरशुदा रास्ता नहीं है इस आदेश में अधीनस्थ न्यायालय ने पत्थर न. 162/27 व 162/35 के किला न. 21 ता 25 में घरेलू रास्ता मानकर इस रास्ता को खुलवाने का आदेश दिया।रेस्पोडेंट संख्या 1 के उक्त प्रार्थना पत्र में धाराओं का अंकन नहीं है परन्तु प्रार्थना पत्र में मंशा घरेलू रास्ता खुलवाने की है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में कवर होती है। इसलिए प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश धारा 251 राज. काश्तकारी अधिनियम में ही माना जावेगा। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2018 पेज 1277, आरआरसी 1998 पेज 492 व ओर ध्यान दिलाया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर अलग से आदेश लिखने की बजाय सीधा ही प्रार्थना पत्र कर स्वीकार कर जैरप्राईवेट रास्ता में बाधा मानकर पुलिस थाना घडसाना को पत्र लिखा है जो एक आदेश की श्रेणी में आता है। आरआरटी 2017 (1) पेज 396 व आरआरटी 2015 पेज 761 की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में रास्ता में अवरोध हटाने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज कर ग्राम पंचायत को भेजने की बजाय पटवारी व गिरदावर हल्का की रिपोर्ट मंगवाकर स्वयं ने ही फैसला कर दिया है जबकि धारा 251 आरटीए के अनुसार व राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक एफ–रेवे/ ग्रुफ/4/80/34 दिनांक 04.9.1982 के अनुसार ऐसे प्रार्थना पत्र को तहसीलदार दर्ज कर ग्राम पंचायत को रास्ता में से अवरोध हटाने की कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगा व 45 दिन में ग्राम पंचायत निर्णय नहीं कर पाती है तो 46 वे दिन के पश्चात तहसीलदार कार्यवाही कर सकता है। तहसीलदार को ऐसे प्रार्थना पत्र पर निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2010 (1) पेज 304, आरएलडब्यलू 2005(1) पेज 127, आरआरटी 2012(2) पेज 2013 की ओर ध्यान दिलाया। हस्तगत प्रकरण में अपीलांटगण व रेस्पोडेंट का रकबा सयुंक्त खाता का है इन किलो पर अपीलांट का कब्जा है तथा अपीलांट की ढाणियां बनी हुई है।अपीलांट हितबद्व पक्षकार है। अपीलांट की सयुंक्त खाता की भूमि कृषि योग्य भूमि में से रास्ता खुलवाने के आदेश दिये है जिसकी सूचना अपीलांट को नहीं दी गई। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर, अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar
Nagpal
Date: 2023.01.03 14:38:18 IST
Reason: SelfAttested

5. अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 2 डीडी 'ए' के मुरब्बा न. 162/35, 162/27, 162/36, 162/43, 162/44 अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 व अन्य सह हिस्सेदारान के नाम से सयुंक्त रूप से दर्ज है। उक्त भूमि के मुरब्बा न. 162/35 के किला न. 17 में मुझ रेस्पो0 संख्या 1 की रिहायशी ढाणी बनी हुई है तथा इसी मुरब्बा के किला न. 18, 23, 24 में अन्य हिस्सेदारान की ढाणियां बनी हुई है। हम सहकाश्तकारों ने आवागमन के लिए मुरब्बा न. 162/35 व 167/27 किला न. 21 ता 25 में 10–12 फीट का रास्ता आपसी सहमति

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

से घरेलू तोर पर छोड रखा है जो रास्ता पिछले करीब 50 वर्षो से मौका पर चालू था और इसी रास्ता में ही अपीलांट व अन्य सह काश्तकारान अपनी ढाणीयों में आवागमन के लिए निर्बाध रूप से उपयोग कर रहे थे। अपीलांटगण ने कुछ दिन पहले मुझ रेस्पो0 की ढाणी को जाने वाले मुरब्बा न. 162/35 के किला न. 23 व 24 में गेट लगाकर पिछले 50 वर्षो से चल रहे रास्ता को गेट लगाकर बन्द कर दिया। उक्त रास्ता खुलवाने हेतु मैनें तहसीलदार घडसाना के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि अपीलांट द्वारा 50 वर्षो से चल रहे रास्ता को गेट लगाकर बन्द किया है मुझ प्रार्थीया को आने–जाने नहीं देते और मौका पर लडाई झगडा करते है। प्रार्थीया की कृषि जिन्स ढाणी में पडी है, अतः रास्ता खुलवाया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट मंगवाकर रास्ता खुलवाने हेतु का आदेश देते हुए थानाधिकारी पुलिस थाना घडसाना को पुलिस सहायता के लिखा। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश विरूद्ध यह अपील पेश की गई। जबकि उक्त आदेश एक प्रशासनिक आदेश है, जिस पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट की मोहर व हस्ताक्षर है। ऐसे आदेशों की अपील का कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि जेर अपील रकबा सहखातेदारी का है जिस पर अपीलांटस को रास्ता रोकने का कोई अधिकार नहीं है तथा जैर अपील आदेश भी एक प्रशासनिक आदेश है जिसकी अपील इस न्यायालय में नहीं चल सकती अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे व जैर अपील रास्ता को खुलवाने हेतु तहसीलदार को आदेशित किया जावे।

6. हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलांटगण व रेस्पोडेंट का रकबा सयुंक्त खाता का है जिसमें अपीलांट हितबद्व पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

7. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से पाया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार घडसाना के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दि.02.05.2022 को पेश कर निवेदन किया कि चक 2 डीडी 'ए' के संयुक्त खाता के रकबा में से पत्थर न. 162/27, 162/35 के किला न. 21 ता 25 में से 10–12 फुट चौडा रास्ता चालू है तथा सुखमन्द्र व सुखपालसिंह ने पत्थर न. 162/35 के किला न. 23 व 24 की सीमा पर घरेलू रास्ता को जानबूझकर गेट लगाकर बन्द कर दिया है तथा रेस्पो0 संख्या 1 को आने–जाने नहीं देते और मौका पर लडाई झगडा करते है । प्रार्थीया की कृषि जिन्स ढाणी में पडी है, अतः रास्ता खुलवाया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट मंगवाई। रिपोर्ट पटवारी अनुसार सयुंक्त खाता की चक 2 डीडी 'ए' के पत्थर न. 162/27 व 162/35 के किला न. 21 ता 25 में घरेलू रास्ता 10–12 फुट चाडाई में चालू है तथा किला न. 23, 24 की सीमा पर घरेलू रास्ता को गेट लगाकर बन्द किया हुआ है। अपीलांटस व रेस्पोडेंट के मध्य पारिवारिक विवाद होना प्रतीत होता है। रिपोंर्ट पटवारी अनुसार रकबा सयुंक्त खातेदार दर्ज है व खाता विभाजन हेतु प्रकरण न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी घडसाना में अनवान अपर्णजोत सिंह आदि बनाम बलराज आदि अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आरटीएक्ट के तहत जैरकार है। सयुंक्त खातेदारों द्वारा आपसी सहमति से रास्ता छोडा जाना प्रतीत होता है। चूंकि रकबा संयुक्त खातेदारी का है व प्रकरण में दोनों पक्ष सह खातेदार है। सहखातेदारों की आराजी पर प्रत्येक सहखातेदार का इन्च इन्च भूमि पर कब्जा माना जावेगा। एक सह खातेदार द्वारा दूसरे सहखातेदार के आवागमन को रोकना न्यायिक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता। अतः प्रकरण में अपीलांट का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश धारा 251 काश्तकारी अधिनियम के तहत जारी किया गया है, इस प्रकरण में लागू नहीं होता। अतः अपील सारहीन होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण अस्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार राजस्व घडसाना का आदेश दिनांक 04.0[illegible].2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली पैरा शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.03 14:38:18 IST
Reason: SelfAttested

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)